न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 7046–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–6–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 23/सी–132/14–15.

पवन कुमार पिता ओंकार सिंह रघुवंशी
निवासी वार्ड नं. 11 फूसामल मार्ग सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
होशंगाबाद .....अनावेदक

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद के समक्ष उसके द्वारा कय किये गये रूपये 2,13,050/– के मुद्रा पत्र वापिस करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 23/सी–132/14–15 दर्ज कर दिनांक 30–6–2015 को आदेश पारित

किया जाकर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 31–8–2016 को आवेदक के अभिभाषक ने उपस्थित होकर सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । अतः प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों के संदर्भ में किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 49 एवं 50 के प्रावधानों को गलत समझकर आदेश पारित करने में विधि की गंभीर भूल की गई है ।

(2) आवेदक की ओर से मुद्रा पत्र रिफण्ड हेतु दिनांक 22–4–2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा दिनांक 7–5–2015 को प्रकरण दर्ज किया गया है । अतः अधिनियम की धारा 50 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए आदेश पारित किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा अवधि बाह्य मानकर आवेदन पत्र निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि चूंकि आवेदक द्वारा विक्रेता को सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन दस्तावेज अधिनियम की धारा 49 (घ) की श्रेणी में आयेगा इसी कारण उनके द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष उचित है कि अधिनियम की धारा 50 (1) के अंतर्गत रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र लिखत की तारीख के दो मास के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, परन्तु आवेदक द्वारा छः माह की अवधि पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । यहां यह भी विचारणीय

प्रश्न है कि आवेदक की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसका आवेदन पत्र किस प्रावधान के अंतर्गत आयेगा । अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर